//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 27 / 2022

उनवान

बजरंग पुत्र सुखा जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादी :— 1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :— 14.6.23

—: निर्णय :—

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम व प0म0 रामसर तहसील नसीराबाद के वंर्किग खसरा नम्बर 6344 रकबा 10—0—0 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आरारजी पर वादी का पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा उक्त आराजी पर कृषि कार्य कर के अपना व अपने परिवार का पालन—पोषण करता है। ग्राम व पटवार मण्डल रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6344 कुल रकबा 17—0—0 में से 10—0—0 आराजी वादी के स्वर्गवासी पिता सुखा पुत्र रोडा जाति रेगर को रामसर में दिनांक 27.11.1975 को लगातार कब्जे काश्त के आधार पर आवंटित हुयी थी। वादी के पिता का उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 5052 व 5060 की आराजी पर कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा था। जिस कारण वंर्किग खसरा नम्बर 6344 का आवंटन वादी के पिता को नियमानुसार किया गया जिसकी पुष्टि वाद के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी होती है जिसके कालमॅ संख्या 16 में वादी के पिता को उक्त आराजी के आवंटन होने का नोट अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी के पिता की आवंटनशुदा है जिस पर पूर्व में वादी के पिता का तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु हो गयी है जिनके एक मात्र वारिस वादी ही है। पूर्व चौसाला खसरा नम्बर 5052 व 5060 के वंर्किग खसरा नम्बर 6344 रकबा 17—0—0 व हाल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.22, 8606 रकबा 0.81 व 8598 रकबा 3.00 बने है। आराजी मुतनाजा [illegible] 10—0—0 भूमि वादी के पिता को आवंटित हुयी थी इसके उपरान्त [illegible] आराजी [illegible] के नाम तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज करने के बजाय [illegible] विभाग के राजस्व कार्मिको ने त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक खाते में दर्ज कर दी। जबकि आराजी मुतनाजा में से

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

10—0—0 आराजी वादी/पिता के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व अभिलेख में ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8605 रकबा 0.22, 8606 रकबा 0.81 तथा 8598 रकबा 0.57 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा बंदोबस्त विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की गयी है। पूर्व राजस्व अभिलेख में भी भूमि सिवाचक दर्ज थी। वादी ने दौरारने बंदोबस्त कोई आपत्ति पेश नही की। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के कारण वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वाद व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी के पूर्वजो की विधिवत आवंटनशुदा है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से व वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से वाद खरिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी बजरंग के बयान करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

<u>तनकी संख्या 1</u> :—

वादी का कथन है कि ग्राम व प0म0 रामसर तहसील नसीराबाद के वंर्किग खसरा नम्बर 6344 रकबा 10—0—0 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आरारजी पर वादी का पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। ग्राम व पटवार मण्डल रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6344 कुल रकबा 17—0—0 में से 10—0—0 आराजी वादी के स्वर्गवासी पिता सुखा पुत्र रोडा जाति रेगर को रामसर में दिनांक 27.11.1975 को लगातार कब्जे काश्त के आधार पर आवंटित हुयी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश से भी वादी के पिता को उक्त आराजी के आवंटन के तथ्य सिद्व होते है। वादी के पिता का उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 5052 व 5060 की आराजी पर कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा था। जिस कारण वंर्किग खसरा नम्बर 6344 का आवंटन वादी के पिता को नियमानुसार किया गया जिसकी पुष्टि वाद के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी होती है जिसके कालमॅ संख्या 16 में वादी के पिता को उक्त आराजी के आवंटन होने का नोट अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी के पिता की आवंटनशुदा है जिस पर पूर्व में ... पिता का तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश व खसरा गिरदावरी व धारा 91 की रिपोर्ट ... होते है। वादी के पूर्वज को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती ... अथवा आवंटन निरस्त बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादी के पिता को किया गया तथा मौके पर कब्जा व दखल भी सौपा गया। खसरा गिरदावरी के कालम संख्या 14 व 41 में वर्किंग खसरा नम्बर 6344 वादी के पिता को आवंटन होने का नोट भी अंकित है। पूर्व चौसाला खसरा नम्बर 5052 व 5060 के वर्किंग खसरा नम्बर 6344 रकबा 17-0-0 व हाल खसरा नम्बर 8605 रकबा 0.22, 8606 रकबा 0.81 व 8598 रकबा 3 00 बने है। आराजी मुतनाजा में से 10-0-0 भूमि वादी के पिता को आवंटित हुयी थी इसके उपरान्त भी उक्त आराजी वादी के पिता के नाम तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग व राजस्व कार्मिको ने त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक खाते में दर्ज कर दी। जबकि आराजी मुतनाजा में से 10-0-0 आराजी वादी/पिता के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी के आवंटन का अमल दरामद नही किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में पूर्व राजस्व अभिलेख अवंटन आदेश, धारा 31 की रिपोर्ट, वर्किंग जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व मिलान श्रेत्रफल पेश किये है। हाल राजस्व अभिलेख खसरा नम्बर में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही की है। उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन का इन्द्राज पूर्व राजस्व अभिलेख में नही किया गया है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आवंटी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे ऐसी स्थिति में वादी इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8605 रकबा 0.22, 8606 रकबा 0.81 व 8598 रकबा 0.57 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा सिविल जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बजरंग बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 27/2022
पेश करने की दिनांक – 09.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8605 रकबा 0.22, 8606 रकबा 0.81 व 8598 रकबा 0.57 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 06 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद